भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं.\*116

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**खेलों और जुए में सट्टेबाजी को वैध बनाए जाने के लिए विधि आयोग की सिफारिश** **\*116. श्री जोस. के. मणिः**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने खेलों और जुए में सट्टेबाजी को वैध बनाए जाने की सिफारिश की है क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगाए जाने पर इस प्रवृति में चोरी-छिपे वृद्धि ही हुई है ;

(ख) क्या सट्टेबाजी और जुआ वैध सूची के अंतर्गत आते है ; और

(ग) क्या केरल राज्य अनेक वर्ष़ों से ‘कारुण्य’ नाम से एक पारदर्शी और लोकप्रिय लॉटरी चला रहा है, जिससे प्राप्त आय को राज्य में गरीब लोगों की चिकित्सा देख-रेख में व्यय किया जाता है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*116, जिसका उत्तर तारीख 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है, के संबंध में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) से (ख) :** भारतीय विधि आयोग ने **“विधिक ढांचा : भारत में द्यूत और क्रिकेट सहित खेल में सट्टेबाजी”** नामक अपनी 276वीं रिपोर्ट सरकार को 05.07.2018 को प्रस्तुत की । 276वीं रिपोर्ट और स्पष्टीकरण के लिए प्रैस नोट को भारतीय विधि आयोग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया, आयोग ने रिपोर्ट के पृष्ठ 115 पर पैरा 9.7 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि विधि विरुद्ध कार्यकलापों को निवारित करने के लिए **दृढता से और स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है कि भारत में वर्तमान स्थिति में सट्टेबाजी और द्यूत वांछनीय नहीं है तथा विधि विरुद्ध सट्टेबाजी और द्यूत पर संपूर्ण रोक को अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।** फिर से **पैरा 9.8 के माध्यम से, यह सिफारिश की गई है कि द्यूत पर नियंत्रण करने के लिए, यदि संपूर्ण रोक को प्रवृत्त करना संभव नहीं है, तो प्रभावी विनियमन ही एकमात्र साध्य विकल्प है,** जिससे कि विधि विरुद्ध क्रियाकलापों को निवारित किया जा सकेऔर संसद् या राज्य विधान मंडलों द्वारा इन गतिविधियों को विनियमित करने का विनिश्चय करने की दशा में, आयोग ने अनेक मार्गदर्शक सिद्धांतों और सुरक्षापायों की सिफारिश की है **।**  उक्त रिर्पोट सरकार के विचाराधीन है।

**(ग) :**  जी, हां । केरल राज्य दो लॉटरियों अर्थात कारुण्य और कारुण्य प्लस का संचालन करता है, जिसका शुद्ध राजस्व राज्य में गरीबों की चिकित्सा सेवा के लिए उपयोग किया जा रहा है । तारीख 03.09.2011 को कारुण्य लॉटरी का विक्रय और तारीख 23.03.2014 को कारुण्य प्लस लॉटरी का विक्रय आरंभ हुआ था । इन लॉटरियों को सीधे सरकारी विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और उनके विक्रय आगम को संचित निधि में विप्रेषित किया जाता है और व्यय को बजट उपबंधों से आहरण द्वारा संचित निधि से पूरा किया जा रहा है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*